न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 347 सन 2019
अनवान :—

1. कृष्ण कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. रतनलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. सुनीता पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. पार्वती पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता वादी
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 19/03/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 383 की 17.00 बीधा यानि 4.2996हैक एवं खाता संख्या 154 की 26.13 बीधा यानि 6.7405हैक भूमि खाता संख्या 171 में सयुक्त तौर से 220 हिस्सा भूमि वादी के दादा भूराराम वल्द किसानाराम के नाम खातेदार काश्तकार दर्ज थी वादी के दादा भूराराम वल्द फुसाराम के देहान्त होने पर उक्त वाद भूमि उनके चारों पुत्रों मदनलाल , सोहनलाल , हरिसिह , बलराम पर और हुई थी जो वर्तमान में चक 6 बारानी के खाता संख्या 326/273 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज हे एवं रोही मौजा चक 6 बारनी के खाता संख्या 467/506 में प्रतिवादी संख्या 1 का 220 हिस्सा में 1/4 हिस्सा दर्ज है।

उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज हुई है एंव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है इसलिये वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है जिसकी धोषणा न्यायालय से करवा पाने के अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कर कभी भी रहन बेय कर सकता है इसलिये वादी प्रतिवादी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि उसके नाम दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये वाद पेश किया गया है।

अतः वादी वादी डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 326/273 की कुल 12.030हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 467/506 की कुल 12.7630हैक में से 220 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज है में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या ,2 ता 4 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 326/273 की कुल 12.030हैक्‍ जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 467/506 की कुल 12.7630हैक्‍ में से 220 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है वादी किसी कदर भी प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नही है उतरादाता के जीवनकापर्जन एवं परिवारिक दायित्व की पूर्ति हेतु वाद भूमि उतरदाता के नाम दर्ज है उतरादाता सीधा साधा व्यक्ति है किसी प्रकार के व्यसन का आदि नही है वादी ने गलत तथ्य अपने वाद में अंकित किये गये है ना ही प्रतिवादी भूमि का बेचान कर रहा है वादी वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा कर अपने व्यसनों की पूर्ति हेतु बेचान करना चाहता है अतः वादी का वाद संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे। जबाब शामिल मिसल किया , वादी के वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 के जबाब के आधार पर निन्मप्रकार से तनकी कायम की गई

1. आया कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 326/273 की 12.0300हैक्‍ भूमि में व रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 407/506 की कुल 12.7630हैक्‍ में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित करवा पाने के अधिकारी है।? वादी
2. आया कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द /डिक्री जारी करवाने के अधिकारी है।? वादी
3. आया वादी विवादित भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है वाद वादी खारिज फरमावे।? प्रतिवादी
4. आया कि विवादित भूमि उतरादाता के जीवनकाल में किसी कदर अपने नाम दज्र करवा पाने का अधिकारी है।? प्रतिवादी

तनकी कायम की जाकर उभयपक्षों को साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिया गया वादी ने अपने साक्ष्य में मुख्य परिक्षाा का शपथ पत्र पेश किया जिरह प्रतिवादी संख्या 1 ने की गई प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य बन्द किये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 383 की 17.00 बीधा यानि 4.2996हैक्‍ एवं खाता संख्या 154 की 26.13 बीधा यानि 6.7405हैक्‍ भूमि खाता संख्या 171 में सयुक्त तौर से 220 हिस्सा भूमि वादी के दादा भूराराम वल्द किसानाराम के नाम खातेदार काश्तकार दर्ज थी वादी के दादा भूराराम वल्द फुसाराम के देहान्त होने पर उक्त वाद भूमि उनके चारों पुत्रों मदनलाल , सोहनलाल , हरिसिह , बलराम पर और हुई थी जो वर्तमान में चक 6 बारानी के खाता संख्या 326/273 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज हे एवं रोही मौजा चक 6 बारनी के खाता संख्या 467/506 में प्रतिवादी संख्या 1 का 220 हिस्सा में 1/4 हिस्सा दर्ज है।

उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज हुई है एंव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है इसलिये वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी [illegible] ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार [illegible] पाने के अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के [illegible] होने का नाजायज फायदा उठा कर कभी भी रहन बेय कर सकता है इसलिये वादी [illegible]तिवादी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 326/273 की कुल 12.030हैक्ट जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 467/506 की कुल 12.7630हैक्ट में से 220 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है वादी किसी कदर भी प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नही है उतरादाता के जीवनकापर्जन एवं परिवारिक दायित्व की पूर्ति हेतु वाद भूमि उतरदाता के नाम दर्ज है उतरादाता सीधा साधा व्यक्ति है किसी प्रकार के व्यसन का आदि नही है वादी ने गलत तथ्य अपने वाद में अंकित किये गये है ना ही प्रतिवादी भूमि का बेचान कर रहा है वादी वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा कर अपने व्यसनों की पूर्ति हेतु बेचान करना चाहता है अतः वादी का वाद संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है।

तनकी न0 1 आया कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 326/273 की 12.0300हैक्ट भूमि में व रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 407/506 की कुल 12.7630हैक्ट में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित करवा पाने के अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था

वादी ने अपने तथ्यो/तनकी के समर्थन में जमाबन्दी चक 6 बारानी सम्वत 2070–73 , नकल जमाबन्दी चक 6 बारानी सम्वत 2050 , नकल जमाबन्दी चक 6 बारानी सम्वत 2050 नकल जमाबन्दी चक 6 बारानी सम्वत 2050 नकल जमाबन्दी सम्वत 2050 चक 6 बारानी ईक्स पी – 1 से 5 पेश की गई ।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वाद भूमि पूर्व में भुराराम वल्द क़िसनाराम के नाम से दर्ज थी जो वादी का दादा था वादी के दादा भूराराम वल्द किसनाराम के देहान्त होने पर भुराराम के चारो पुत्रों मदनलाल , सोहनलाल , हरिसिह , बलराम पर विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वाद भूमि वादी के दादा भूराराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उसके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण पैतृ सम्पति होना साबित है।

हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में सयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि वादी के दादा भूराराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति होने के कारण वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा होगा।

अतः तनकी न0 1 साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0 2 आया कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द /डिक्री जारी करवाने के अधिकारी है।?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था तनकी न0 1 के विवेचन से यह तय हो चुका है कि वाद भूमि में वादी का हक हिस्सा है वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 कभी भी वाद भूमि को रहन बेय कर सकता है जिससे वादी के हकों को [illegible] हो सकता है इसलिये वादी प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द करवा [illegible]

अतः तनकी न0 2 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

तनकी न0 3 आया वादी विवादित भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है वाद वादी खारिज फरमावे।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था तनकी न0 1 ,2 वादी के पक्ष में तय की गई है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी का हक हिस्सा माना गया है इसलिये वादी वाद भूमि का टिनेन्ट है।

अतः तनकी न0 3 भी वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 4 :– आया कि विवादित भूमि उतरादाता के जीवनकाल में किसी कदर अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।?

तनकी न0 1 , 2 में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय हो चुका है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भूराराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित हो चुका है प्रतिवादी संख्या 1 का कथन है उसके जीवनकाल में वादी किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है किन्तु अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोइ साक्ष्य पेश नही किया जिससे अपने कथनों की पुष्टि हो सके।

अतः तनकी न0 4 भी प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व तय की जाती है।

तनकीवार विवेचन से साबित हो चुका है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि वादी के दादा एव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भूराराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा होगा।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार वादी का वाद साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 326/273 की कुल 12.030हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 467/506 की कुल 12.7630हैक में से 220 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर

वादी

बनाम

1 सोहनलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2 रतनलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3 सुनीता पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4 पार्वती पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
5 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
6 उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 347 सन 2019 निर्णय दिनांक– 19/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी श्री मांगीलाल देहडु एव अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 326/273 की कुल 12.030हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 467/506 की कुल 12.7630हैक में से 220 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:07 IST
Reason: SelfAttested